सं. सी-18015/1/2015-स्थापना

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

*****

हॉल नंबर 6421, जोन-04
जीपीओए-03, नेताजी नगर, नई दिल्ली
दिनांक: 22nd सितंबर, 2026

नोटिस

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 19 (ख) के अनुपालन में, निम्नलिखित सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाता है:

क. आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन:

पॉश अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार, आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन कोयला मंत्रालय के आदेश संख्या सी - 18015/1/2015- स्थापना, दिनांक 22.07.2025 के तहत किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

i.	सुश्री रूपिंदर बरार, अपर सचिव	-	सभापति
ii.	सुश्री चेतना शुक्ला, डीडीजी	-	सदस्य
iii.	श्री रॉबिन गंगटे, उप सचिव	-	सदस्य
iv.	सुश्री सीमा ग्रोवर, अवर सचिव	-	सदस्य
v.	सुश्री सुमिता	-	सदस्य [वाईडब्ल्यूसीए, दिल्ली]

ख. शिकायतों और चिंताओं की रिपोर्टिंग:

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत उपरोक्त गठित आईसीसी को पॉश अधिनियम की धारा 9 के अनुसार की जा सकती है। सभी संबंधितों को निम्नलिखित में से किसी भी चैनल के माध्यम से यौन उत्पीड़न की किसी भी घटना, या किसी भी आचरण की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा के उल्लंघन के संबंध में चिंता पैदा करता है:

i. समिति के सदस्यों का पता, टेलीफोन और ई-मेल, यथा संलग्न और जो कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ii. शिकायत पेटियों को रखा जाने का स्थान 4th मंज़िल , जीपीओए-03, नेताजी नगर, नई दिल्ली।

iii. कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर शी बॉक्स पोर्टल आइकन देखा जा सकता है

ग. परिणाम जहां आरोप साबित होता है:

जांच पूरी होने पर, जहां आईसीसी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यौन उत्पीड़न का आरोप साबित हो गया है, आईसीसी पॉश अधिनियम की धारा 13(3) के अनुसार, नियोक्ता को ऐसी कार्रवाई की सिफारिश करेगा जो लागू सेवा नियमों और पॉश अधिनियम के अनुसार उपयुक्त हो सकती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. यौन उत्पीड़न के लिए संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध लागू सेवा नियमों के अनुसार कदाचार के रूप में कार्रवाई करना।

ii. जहां उपयुक्त हो, पीड़ित महिलाओं को पॉश अधिनियम की धारा 15 के अनुसार मुआवजे का भुगतान, जिसमें, जहां अनुमति हो, मुआवजे की इस राशि को संबंधित व्यक्ति के वेतन या मजदूरी से काटा जाना शामिल है; और

iii. आईसीसी के निष्कर्षों और सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, लागू सेवा नियमों और लागू कानून के तहत यथा अनुमत ऐसी अन्य उचित कार्रवाई करना।

घ. जांच के लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत:

जांच के लंबित रहने के दौरान, पीड़ित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर, आईसीसी नियोक्ता को ऐसे अंतरिम उपायों की सिफारिश कर सकती है जो पॉश अधिनियम की धारा 12 के तहत अनुमेय हैं, जिसमें पीड़ित महिला या प्रतिवादी को किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरण, पीड़ित महिला को कानून के अनुसार छुट्टी प्रदान करना और ऐसी अन्य निर्धारित राहत शामिल है जो उचित हो।

ड. गोपनीयता की सुरक्षा:

पीड़ित महिला, प्रतिवादी और गवाहों की पहचान और विवरण, साथ ही जांच से संबंधित जानकारी और आईसीसी की सिफारिशों को पॉश अधिनियम और लागू नियमों के तहत गोपनीयता आवश्यकताओं के अनुसार निपटाया जाएगा।

च. अनुपालन:

सभी संबंधितों को सलाह दी जाती है कि वे पॉश अधिनियम के प्रावधानों और लागू नियमों से परिचित हों और आईसीसी को अपने कार्यों के निर्वहन में पूर्ण सहयोग दें।

सीमा ग्रोवर

[सीमा ग्रोवर]
अवर सचिव, भारत सरकार

सं. सी-18015/1/2015-स्था..

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

...

कक्ष सं. 104, सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक 22 जुलाई, 2025

कार्यालय आदेश

इस मंत्रालय के दिनांक 05.06.2025 के समसख्यक कार्यालय आदेश के क्रम में, इस मंत्रालय की आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया है:-

i. सुश्री रूपिंदर बराड़, अतिरिक्त सचिव	: अध्यक्ष
ii. सुश्री चेतना शुक्ला, डीडीजी	: सदस्य
iii. श्री रबिन गंगटे, उप सचिव	: सदस्य
iv. सुश्री सीमा ग्रोवर, अवर सचिव	: सदस्य
v. सुश्री सुमिता	: सदस्य (वाईडब्ल्यूसीए, दिल्ली)।

2. शिकायत समिति कोयला मंत्रालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करेगी/सुनवाई करेगी, जैसा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (एसएच अधिनियम) द्वारा संशोधित किया गया है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संजीव रंजन

(संजीव रंजन)

भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाष संख्या 011- 23385724

प्रतिलिपि:

1. माननीय कोयला मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीय कोयला राज्य मंत्री के निजी सचिव।
3. सचिव (कोयला) के वरिष्ठ निजी सचिव/ एएस(आरबी)/ एएसएंडएफए/ एएस(एसकेजे)/ जेएस(बीपीपी)/ जेएस(एसकेके)/जेएस(एलएससी)/डीडीजी/ईए/ओएसडी के निजी सचिव।
4. सुश्री रूपिंदर बराड़, अतिरिक्त सचिव, कोयला मंत्रालय।
5. सुश्री चेतना शुक्ला, डीडीजी, कोयला मंत्रालय।
6. श्री रविन गंगटे, उप सचिव, कोयला मंत्रालय।
7. श्रीमती सीमा ग्रोवर, अवर सचिव, कोयला मंत्रालय।
8. सुश्री सुमिता, सदस्य वाईडब्ल्यूसीए, दिल्ली, सी-6/6542, वसंत कुंज, नई दिल्ली।
9. ई-नोटिस बोर्ड।

पता, टेलीफ़ोन नंबर और ई-मेल

क्रम संख्या	नाम और पदनाम	आईसी समिति	टेलीफ़ोन कार्यालय	कार्यालय का पता	ई-मेल
1.	सुश्री रुपिंदर बरार, अपर सचिव	अध्यक्ष	011- 20903138	कमरा नंबर. 3506-ZONE-5 GPOA-03, नेताजी नगर, नई दिल्ली	rup[dot]brar[at]nic[dot]in
2.	सुश्री चेतना शुक्ला, डीडीजी	सदस्य	011-24699948/ 011-24653863	कोयला मंत्रालय, 5वीं मंज़िल, लोक नायक भवन, नई दिल्ली	chetna[dot]Shukla[at]nic.in
3.	श्री रॉबिन गैंगटे, उप सचिव	सदस्य	011- 26773414	कमरा नंबर. 6304-ZONE-3, नेताजी नगर, नई दिल्ली	robin[dot]gangte74[at]nic [dot]in
4.	सुश्री सीमा ग्रोवर, अवर सचिव	सदस्य	011-20903154	कमरा नंबर. 4618-ZONE-6, नेताजी नगर, नई दिल्ली	seema[dot]grover[at]nic [dot]in
5.	सुश्री सुमिता [वाई डब्ल्यू सी ए ऑफ़ दिल्ली]	सदस्य	9818552120 [M]	C-6/6542, वसंत कुंज, नई दिल्ली	sumita6542@gmail[dot] com